भारत सरकार

विधि और न्याय मंत्रालय

विधि कार्य विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 3905

जिसका उत्तर शुक्रवार, 25 मार्च, 2022 को दिया जाना है

वैकल्पिक विवाद निवारण प्रणाली

3905. श्री एन.के. प्रेमचन्द्रन :

क्या **विधि और न्याय मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार वैकल्पिक विवाद निवारण प्रणाली को बढ़ावा देने का है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ख) क्या सरकार का विचार विवादों के समाधान के लिए नया प्रभावी तंत्र शुरू करने का है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या सरकार का विचार विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यकलापों को मजबूत करने का है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(घ) क्या सरकार का विचार गरीबों को सेवा प्रदान करने के लिए अधिवक्ताओं को विधिक सेवा प्राधिकरण के अभियोजक के रूप में स्थायी रूप से नियुक्त करने का है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ङ) क्या सरकार का विचार गरीबों को कानूनी सहायता के लिए अधिवक्ताओं की नियुक्ति के लिए अनुभव और योग्यता निर्धारित करने का है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(च) क्या सरकार का विचार कानूनी सहायता के लिए पात्र व्यक्तियों की आय सीमा बढ़ाने का है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं ?

उत्तर

विधि और न्याय मंत्री

(श्री किरेन रीजीजू)

(क) और (ख) : जी हां, सरकार पारंपरिक न्यायालय प्रणाली को बढ़ाने के लिए वैकल्पिक विवाद निवारण प्रणाली का संवर्धन कर रही है।

भारत में वैकल्पिक विवाद निवारण प्रणाली का संवर्धन करने के लिए माध्यस्थम और सुलह अधिनियम 1996 को घरेलू माध्यस्थम, अंतरराष्ट्रीय वाणिज्यिक माध्यस्थम और विदेशी

मध्यस्थ पंचाटों के प्रवर्तन से संबंधित विधि को समेकित करने के साथ-साथ सुलह से संबंधित और उससे जुड़े मामलों से संबंधित विधि को परिभाषित करने अधिनियमित किया गया था। उपरोक्त अधिनियम में माध्यस्थम प्रक्रिया का और सुधार करने के लिए 2015, 2019 और 2020 में तीन बार संशोधन किया गया है। नई दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय माध्यस्थम केंद्र की स्थापना के लिए एनडीआईएसी अधिनियम 2019 भी अधिनियमित किया गया है।

माध्यस्थम और सुलह अधिनियम, 1996 में किए गए संशोधनों के अनुसार, माध्यस्थम विवादों को तेजी से ट्रैक करने और यह देखने के लिए कि प्रक्रिया लागत प्रभावी है,के उपबंधों के साथ माध्यस्थम प्रक्रिया को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए शीघ्रता से समयसीमा प्रदान की गई है।

पूर्व-संस्थित मध्यक्ता और निपटान (पीआईएमएस) तंत्र के माध्यम से विवादों के समाधान के लिए 2018 में वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम, 2015 में भी संशोधन किया गया है। वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम, 2015 की धारा 12क के अनुसार, पूर्व- संस्थित मध्यक्ता और निपटान (पीआईएमएस) तंत्र के माध्यम से किए गए निपटान समझौते का वही प्रास्थिति और प्रभाव है जैसे कि यदि यह माध्यस्थम और सुलह अधिनियम, 1996 की धारा 30 की उप-धारा (4) के अधीन सहमत शर्तों पर एक मध्यस्थ पंचाट है।

सरकार ने मध्यकता पर एक स्वतंत्र विधि अधिनियमित करने के लिए राज्य सभा में 20.12.2021 को मध्यकता विधेयक, 2021 पुर:स्थापित किया है। विधेयक का लक्ष्य विवादों, वाणिज्यिक या अन्यथा के समाधान के लिए विशेष रूप से संस्थागत मध्यकता का संवर्धन करना और मध्यकता को सुकर बनाना, निपटान समझौते को मध्यकता करके प्रवर्तित करना, सामुदायिक मध्यकता को प्रोत्साहित करने के लिए मध्यस्थों के रजिस्ट्रीकरण के लिए एक निकाय प्रदान करना, और ऑनलाइन मध्यकता को स्वीकार्य और प्रक्रिया और उससे जुड़े या उसके आनुषंगिक मामलों के लिए लागत प्रभावी बनाना है ।

वर्तमान में विधेयक कार्मिक, लोक शिकायत, विधि और न्याय संबंधी संसदीय स्थायी समिति से संबंधित विभाग के विचाराधीन है।

(ग) : विधिक सेवा प्राधिकरणों के क्रियाकलापों को निम्नलिखित पहलों द्वारा शुरू करके सुदृढ़ किया गया है:

i. वेब पोर्टल और मोबाइल ऐप का शुभारंभ : विधिक सहायता प्राप्त करने के लिए ऑनलाइन आवेदन फाइल करने हेतु राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (एनएएलएसए) के माध्यम से एक वेब पोर्टल सृजित किया गया है। विधिक सेवा मोबाइल ऐप क्रमशः 8 अगस्त 2021 और 9 नवंबर, 2021 को एंड्रॉइड और आईओएस संस्करण के लिए भी शुभारंभ किया गया है ।

ii. रिमांड चरण में विधिक सेवाएं : 9834 रिमांड अधिवक्ताओं को प्रत्येक दंडाधिकारीय न्यायालयों और सत्र/विशेष न्यायालयों में प्रतिनियुक्त किया गया है, जहां रिमांड चरण में अनुपस्थित विचाराधीन के लिए विधिक सेवाएं प्रदान करने के लिए रिमांड की कार्यवाही की जाती है।

iii. विधिक सेवा क्लिनिक- सामान्य लोगों को विधिक सहायता प्रदान करने के लिए विधि महाविद्यालयों/विश्वविद्यालयों, गांवों, सामुदायिक केंद्रों,न्यायालयों, जेलों, जेजेबी/
सीडब्ल्यूसी/संप्रेक्षण गृह आदि में विधिक सेवा क्लीनिक खोले गए हैं। विधिक सेवा क्लीनिकों का संचालन परा-विधिक स्वयसेवकों (पीएलवी) और पैनल वकीलों द्वारा किया जाता है। जनवरी, 2022 तक देश में 12110 विधिक सेवा क्लीनिक स्थापित किए गए हैं।

iv. विधिक सहायता रक्षा परामर्श प्रणाली (एलएडीसीएस): आरंभिक आधार पर कुछ जिलों में विशेष रूप से विधिक सहायता प्राप्त मामलों से निपटने वाले वकीलों से मिल कर बनने वाले विधिक सहायता रक्षा परामर्श प्रणाली का उपबंध किया गया है।

v. सिद्धदोषियों को विधिक सहायता: विधिक सेवा प्राधिकरण सिद्धदोषियों को सत्र न्यायालयों, उच्च न्यायालयों और उच्चतम न्यायालय में अपील फाइल करने के लिए भी विधिक सहायता प्रदान करते रहे हैं।

vi. फ्रंट कार्यालय: फ्रंट कार्यालय/परामर्श कार्यालय पैनल वकीलों और कार्यालय समय के दौरान उपलब्ध एक या एक से अधिक परा-विधिक स्वयसेवकों (पीएलवी) द्वारा संचालित होते हैं। फ्रंट कार्यालय में पैनल वकील नोटिस का प्रारूप तैयार करने, वकीलों को उत्तर भेजने, आवेदनों का टिप्पण और प्रारूपण तैयार करने, याचिकाओं आदि जैसी सेवाएं प्रदान करते हैं।

उपरोक्त के अलावा, सरकार ने नालसा के माध्यम से, अधिनियम के उपबंधों के अधीन विधिक सेवाएं उपलब्ध कराने और सुरक्षित न्याय प्राप्त करने के अवसर सुनिश्चित करने के प्रयोजन से विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 की धारा 4 (ख) के अधीन 10 स्कीम विरचित किया है जिससे किसी भी नागरिक को आर्थिक या अन्य अक्षमताओं के कारण वंचित नहीं किया जाता है जो निम्नानुसार हैं:

(क) तस्करी और वाणिज्यिक लैंगिंक उत्पीड़न स्कीम, 2015 के पीड़ित

(ख) असंगठित क्षेत्र स्कीम, 2015 में कर्मकारों के लिए विधिक सेवाएं

(ग) बालकों और उनके संरक्षण के लिए बाल अनुकूल विधिक सेवाएं स्कीम, 2015

(घ) मानसिक रूप से बीमार और मानसिक रूप से दिव्यांग व्यक्तियों के लिए विधिक सेवाएं स्कीम, 2015

(ङ) गरीबी उन्मूलन स्कीम, 2015 का प्रभावी कार्यान्वयन

(च) जनजातीय अधिकार स्कीम, 2015 का संरक्षण और प्रवर्तन

(छ) मादक पदार्थ के दुरुपयोग के पीड़ितों के लिए विधिक सेवाएं और मादक पदार्थ के खतरे के लिए उन्मूलन स्कीम, 2015

(ज) वरिष्ठ नागरिकों के लिए विधिक सेवाएं स्कीम, 2016

(झ) एसिड अटैक के पीड़ितों के लिए विधिक सेवाएं स्कीम, 2016

(ञ) दिव्यांग जन बालक के लिए विधिक सेवाएं स्कीम, 2021

(घ): वकील विधिक सेवा प्राधिकरणों के नियमित रोल में नहीं हैं और विधिक सहायता का उपबंध करने के लिए वकीलों की नियुक्ति के लिए पदों की कोई विशिष्ट संख्या नहीं है।

(ङ): विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 के अधीन लोगों को विधिक सहायता प्रदान करने वाले वकीलों को 'पैनल वकील' या 'विधिक सहायता परामर्शी' के रूप में जाना जाता है। इन विधिक सहायता/पैनल वकीलों को नालसा (नि:शुल्क और सक्षम विधिक सेवा) विनियम, 2010, विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 के अधीन राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा बनाए गए विनियमों के उपबंधों के अधीन सूचीबद्ध किया गया है। आवेदन, चयन और पैनल को आमंत्रित करने की प्रक्रिया पूर्वोक्त विनियमों के नियम-8 के अधीन विहित किया गया है, जो अन्य बातों के साथ-साथ यह उपबंध करता है कि बार में तीन वर्ष से कम के अनुभव वाले किसी भी विधिक व्यवसायी को साधारणतया सूचीबद्ध नहीं किया जाएगा।

(च) : नि:शुल्क विधिक सहायता प्राप्त करने के लिए आय सीमा बढ़ाने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

****